REPUBLIK INDONESIA

इंडोनेशिया गणतंत्र के
युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्रालय
तथा
भारत गणतंत्र के
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
के बीच
युवा और खेल सहयोग पर
समझौता ज्ञापन

इंडोनेशिया गणतंत्र का युवा और खेल मामलों का राज्य मंत्रालय तथा भारत गणतंत्र का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इसके बाद जिनका उल्लेख "पक्षों" के रूप में किया गया है ।

दोनों देशों में खेलों और युवाओं को सतत बनाए रखने और विकसित करने के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए,

दोनों पक्षों के बीच विद्यमान मैत्री संबंधों और सहयोग को मजबूत करने की इच्छा से ;

10 फरवरी, 1982 को जकार्ता में इंडोनेशिया गणतंत्र की सरकार तथा भारत गणतंत्र की सरकार के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर हुए करार का उल्लेख करते हुए ;

अपने संबंधित देशों में प्रचलित कानूनों और विनियमों और नीतियों के अनुसरण में निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद-1
सामान्य उद्देश्य

यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी रूपरेखा उपलब्ध कराता है जिसके अंतर्गत युवा और खेल सहयोग के कार्यक्रमों के लिए विस्तृत प्रस्ताव पर पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जाना है ।

अनुच्छेद-2
रूपरेखा

1. दोनों पक्ष दोनों देशों की सरकारी युवा तथा खेल एजेंसियों, संस्थानों और अन्य युवा तथा खेल संगठनों के बीच संबंधों और सहयोग को बढ़ाने तथा सहयोगी गतिविधियों के

आयोजन के लिए ऐसे निकायों के बीच प्रबंधों के निष्कर्ष को उपयुक्त रूप से, प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने का प्रयास करेंगे ।

2. इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोगी गतिविधियों के संदर्भ में प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष के उपस्करों और कार्मिकों की अपने देश में शीघ्र प्रविष्टि और निर्गम को सुविधाजनक बनाने के प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद-3
सहयोग के क्षेत्र

1. सहयोग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष अन्य पक्ष द्वारा विचार के लिए युवा तथा खेल के क्षेत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

2. युवा सहयोग का क्षेत्र जिसे की प्राथमिकता दी गई है, में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

क. दोनों पक्ष परस्पर आधार पर युवा और किशोर विकास से संबंधित मुद्दों पर युवा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमत हैं । प्रत्येक देश एक मुखिया सहित 5 से 8 सदस्यों का एक शिष्टमंडल 10 दिनों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेगा ।

ख. दोनों पक्ष युवा मामलों से संबंधित अधिकारियो के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सहमत हैं ताकि वे एक दूसरे के युवा संबंधित कार्यक्रमों, नीतियों और संस्थानों का अध्ययन तथा जानकारी प्राप्त कर सकें । प्रत्येक देश युवा मामलों पर कार्य कर रहे 5 सदस्यीय सरकारी शिष्टमंडल का 7 दिनों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेगा ।

3. खेल सहयोग के क्षेत्र जिन्हें प्राथमिकता दी गई है :-

क. खेल प्रबंधन, खेल उद्योग तथा खेल प्रतियोगिता सहित ;

ख. खेल उपस्कर ;

ग. खेल विज्ञान तथा खेलों में तकनीकी विकास ;

घ. प्रशिक्षण और कोचिंग में खेल विकास ;

ड़. शारीरिक शिक्षा ;

च. खेलों की खेल सूचना प्रणाली ;

छ. खेलों के संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के संबंध में साहित्य का आदान-प्रदान ; और

ज. सहयोग के अन्य तरीके जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों ।

अनुच्छेद-4
सहयोग के तरीके

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग में निम्नलिखित शामिल हैं :-

क. संबंधित सरकारी एजेन्सियों तथा अन्य संबंधित एजेन्सियों के लिए युवाओं का आदान-प्रदान ;

ख. खेलों के क्षेत्र में संबंधित सरकारी एजेन्सियों, कोचों और एथलीटों के लिए विशेषज्ञ तथा स्टाफ का आदान-प्रदान ;

ग. युवा और खेल प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा कोचिंग प्रणाली पर सूचना का आदान-प्रदान ;

घ. खेल अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग ; और

ङ. युवा और खेल के क्षेत्र में बैठक, सम्मेलन और संगोष्ठी के माध्यम से परामर्श ।

अनुच्छेद-5
वित्त पोषण

1. इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग की सभी गतिविधियां निधियों तथा इन पक्षों के कार्मिकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

2. आपस में तय सहयोगी गतिविधियों के अतिरिक्त सेवा और सामग्री लागत वसूली आधार पर की जाएगी ।

अनुच्छेद-6
कार्यान्वयन और परामर्श

1. क. ये पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विकास के लिए विभिन्न कूटनीतक माध्यमों, बैठकों, पत्रों के आदान-प्रदान तथा अन्य साधनों के माध्यम से प्रबंध करेंगे । दोनों पक्ष ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के अपने पक्ष कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे ।

ख. ऐसे विशिष्ट प्रबंधों में सहयोग, प्रक्रिया, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के वित्त पोषण का उपचार, तथा अन्य उपयुक्त मामले शामिल होंगे ।

2. इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क. इंडोनेशिया गणतंत्र के युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्रालय के लिए युवा और खेल मामले मंत्रालय का सचिवालय;

ख. भारत गणतंत्र के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का सचिवालय ।

3. दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक बैठक इस मझौता ज्ञापन के परिचालन की समीक्षा करेगी तथा किये जाने वाले सहयोग की अनुसूची निर्धारित करेगी ।

4. दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले में आपस में परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद-7
कार्मिकों की गतिविधियों को सीमित करना

प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौता ज्ञापन से संबंधित गतिविधियों में शामिल उनके कार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा मेजबान देश की भौगोलिक अखंडता और इसके कार्मिकों का सम्मान करेगा, तथा मेजबान देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजन और लक्ष्यों में बाधक किसी भी गतिविधि से दूर रहेगा ।

अनुच्छेद-8
संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है । ऐसा संशोधन इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा तथा इस समझौता ज्ञापन का एक अभिन्न हिस्सा होगा ।

अनुच्छेद-9
संशोधन

दोनों पक्षों के बीच इस समझौता-ज्ञापन की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को आपसी परामर्श अथवा बातचीत से सुलझा लिया जाएगा ।

अनुच्छेद-10
प्रभावी, अवधि तथा समाप्ति

1. यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा ।

2. यह समझौता ज्ञापन 3(तीन) वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा तथा आपसी सहमति से इसे अगले 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा । कोई भी पक्ष

दूसरे पक्ष को अग्रिम रूप में लिखित में 6 (छह) महीने का नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है ।

3. यदि यह समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाता है तो इसमें किया गया कोई भी प्रबंध, दोनों पक्षों की आपसी सहमति के अधीन, तब तक प्रभावी रहेगा जब तक ऐसे प्रबंधों से जुड़ी कोई भी गतिविधि पूरी नहीं कर ली जाती है ।

इसके साक्षी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं :-

.... में वर्ष .... के ....माह की ....तारीख को हिंदी, अंग्रेजी और इंडोनेशियाई भाषाओं में तीन प्रतियों में हस्ताक्षरित । सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं । इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रवृत होगा ।

इंडोनेशिया गणतंत्र के युवा और खेल राज्य मंत्री के लिए	भारत गणतंत्र के युवा और खेल मंत्री के लिए
Signed	**Signed**